# झारखण्ड सरकार

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

(भू–अभिलेख, एवं परिमाप निदेशालय)

## अधिसूचना

संः–1/(निदे०अभि०)–(नि०प्रारूपक)–17/2015......760/...... भारत के संविधान की अनुच्छेद 309 के परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के सभी बन्दोबस्त कार्यालयों में कार्यरत प्रारूपक सेवा सम्वर्ग में भर्त्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है। :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ**

i. संक्षिप्त नाम :– यह नियमावली 'झारखण्ड राज्य बन्दोबस्त कार्यालयाधीन प्रारूपक सेवा सम्वर्ग (भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्त) नियमावली 2017' कही जायेगी।

ii. विस्तार :– इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य के बन्दोबस्त कार्यालयों के लिए लागू होगा।

iii. प्रभाव की तिथि :– अधिसूचना निर्गत होने की तारीख से यह नियमावली प्रवृत होगी।

2- **परिभाषाएँ**

i. राज्य :– "राज्य" से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य।

ii. सम्वर्ग :– "सम्वर्ग" से तात्पर्य है राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बन्दोबस्त कार्यालयों में कार्यरत प्रारूपक पद का सम्वर्ग।

iii. आयोग :– "आयोग" से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग।

iv. विभाग :– विभाग से अभिप्रेत है, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

v. "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है बन्दोबस्त पदाधिकारी।

vi. परीक्ष्यमान :– "परीक्ष्यमान" से तात्पर्य है वह सरकारी सेवक जो सम्वर्ग की मौलिक रिक्ति में या उसके विरूद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो।

vii. "वरीयता सूची" से अभिप्रेत है बन्दोबस्त कार्यालयान्तर्गत प्रारूपक पद की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो।

viii. " नियंत्री पदाधिकारी" से अभिप्रेत है निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय।

ix. "भर्त्ती" वर्ष से अभिप्रेत है कैलेण्डर वर्ष (1 ली जनवरी से 31 दिसम्बर)।

3. <u>संवर्गीय संरचना एवं बल :–</u>

(क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे :–

| क्र0सं0 | कोटि/पदनाम | वेतनमान | सेवा समुह | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| i | प्रारूपक (मूल कोटि) | 5200–20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रू० 2400/– | समूह (ग) | अराजपत्रित |
| ii | वरीय प्रारूपक/प्रधान प्रारूपक (प्रोन्नति के पद) | 5200–20200 (PB-I) ग्रेड वेतन रू० 2800/– | समूह (ग) | अराजपत्रित |

(ख) अधिकृत बल :– प्रारूपक/वरीय प्रारूपक/प्रधान पारूपक पद के अधिकृत बल वही होंगे जो वर्तमान अधिकृत बल है या इस कार्य हेतु समय–समय पर स्वीकृत की जाये।

(ग) विभिन्न कोटि के पदों की अनुमान्यता :– संवर्ग बल के निर्धारण के सामान्यतः एकरूपता के दृष्टिकोण से निम्न मापदंडो का अनुसरण किया जायेगा :–

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, के अंतर्गत भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, के अधीन बंदोबस्त कार्यालयों के लिये स्वीकृत संवर्ग बल में कोटिवार पदों की अनुमान्यता निम्न प्रकार निर्धारित होगी :–

i. प्रत्येक कार्यालय के अधिकृत बल का 55 प्रतिशत प्रारूपक पद के मूल कोटि के पद माने जायेंगे।

ii. अधिकृत बल का 45 प्रतिशत पद वरीय प्रारूपक/प्रधान प्रारूपक के रूप में (प्रोन्नति के पद) होंगे।

4. <u>(क) प्रारूपक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया :–</u>

i. <u>रिक्ति की गणना</u> :– प्रत्येक वर्ष 1 ली जनवरी को आधार तिथि मान कर रिक्तियों की गणना की जायेगी। प्रशासी विभाग के द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी को संदर्भ तिथि मानते हुए आरक्षण वर्गवार रिक्तियों की अधियाचना विहित प्रपत्र में आयोग को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से फरवरी तक संसूचित की जायेगी। आयोग को अधिसूचना के माध्यम से भेजी गयी रिक्तियों में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा और विभाग द्वारा अग्रसारित रिक्ति अंतिम मानी जायेगी।

ii. प्रारूपक पदों की भर्ती निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड राँची द्वारा अधियाचित रिक्ति के आलोक में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा से प्राप्त चयनित उमीदवार की सूची में से मेधा क्रम के अनुसार आरक्षण का पालन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

iii. <u>रिक्तियों का नियतिकरण:–</u> प्रत्येक वर्ष 1 ली जनवरी को होनेवाली रिक्ति का 85 प्रतिशत सीधी भर्ती के लिए तथा 15 प्रतिशत पदों पर समूह 'घ' तथा उजरत भोगी

कर्मियों से योग्य उमीदवार की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति से अनुमान्य होगी।

iv. **आरक्षण :–**

(क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे। झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही आरक्षण का लाभ अनुमान्य होगा।

(ख) कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–5938 दिनांक–14.07.2016 के अनुसार झारखण्ड राज्य अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आनेवाले जिलों यथा साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, राँची, खूँटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला–खरसावाँ जिलों में जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु, उक्त अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 10 वर्षों के लिए, संबंधी जिलों के स्थानीय निवासी को ही पात्र माना जाएगा।

(ग) कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–5555 दिनांक–28.06.2016 के अनुसार आदिम जनजातियों के लिए न्यूनतम 2 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से आरक्षित किया जाएगा।

(घ) कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–5671 दिनांक–04.07.2016 के अनुसार निःशक्त जनों के लिए निःशक्त जन आरक्षण अनुमान्य होगा।

(ङ) कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–3198 दिनांक–18.04.2016 के अनुसार राज्य के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान संबंधी नीति का निर्धारण किया जाएगा।

(च) कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या–9567 दिनांक–11.11.2016 के अनुसार राज्य के अन्तर्गत समूह–ग एवं समूह–घ के पदों पर नियोजन के क्रम में अन्य सभी मामलों में समानता होने की स्थिति में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा।

**(ख) शैक्षणिक योग्यता :–**

i. **अनिवार्य योग्यता :–** सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता से भर्ती के लिये किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ इंटरमीडियेट काउंसिल या मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 परीक्षा उत्तीण होना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य है। बंदोबस्त कार्यालय में से कम से कम 10 (दस) वर्षो की उजरत भोगी सेवा अथवा दस (10) वर्षो की समूह 'घ' की सेवा देने वाले अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडियेट या 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का ड्राफ्ट्समैन सिविल/मैकेनिकल ट्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना अनिवार्य होगा। आयोग में आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

ii. **उम्र सीमा :–** न्यूनतम उम्र सीमा अधियाचना वर्ष की 01 ली अगस्त को 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा वह होगी जो सीधी भर्ती हेतु सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित हो। सरकार के अधीन पांच वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत उजरत भोगी/दैनिक वेतनभागी को प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 5 (पाँच) वर्षो की छूट उम्र सीमा में दी जा सकेगी। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में राज्य सरकार द्वारा यथा निधारित उम्र सीमा में छूट का लाभ सिर्फ झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही अनुमान्य होगा।

iii. कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–8566 दिनांक–28.09.2015 के द्वारा अधिसूचित 'झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इंटरमीडियट या 10+2) संचालन नियमावली, 2015 के प्रावधानों के अनुसार ही इन्टरमीडियट या 10+2 स्तर के प्रारूपक पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा का संचालन किया जाएगा।

प्रारूपक सेवा संवर्ग नियमावली के प्रावधानों का कार्मिक विभाग के द्वारा अधिसूचित नियमावली के प्रावधानों के विरोधाभाषी/प्रतिकूल होने की स्थिति में उक्त कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या–8566 दिनांक–28.09.2015 के प्रावधान अध्यारोही प्रभाव (overriding effects) से लागू होंगे।

(ग) **चयन प्रक्रिया :–** झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निम्न प्रकार से प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कर एक मेधा सूची तैयार की जायेगी और निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड, राँची की अधियाचना के अनुसार मेधा सूची उपलब्ध करायेगी।

i. आयोग को प्राप्त अधियाचना के आलोक में इंटरमीडियेट/10+2 स्तर की परीक्षाएँ आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी।

ii. इंटरमीडियेट/10+2 स्तर की परीक्षा के लिए इस पद को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

iii. विशिष्ट अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थी ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अहर्त्ता प्राप्त माने जायेंगे।

iv. राज्य सरकार के अधीन पदों/सेवाओं में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अहर्त्तांक लागू होगा। न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु अयोग्य माने जायेंगे।

15/12/15

C:\Users\Hema\Desktop\Nideshalay Draft\Notification.docx 3.docx

v. प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर सामान्य मेधा सूची (Common merit List) तैयार की जायेगी और आरक्षण कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 15 (पन्द्रह) गुणा अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

vi. मेधा सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal Marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उमीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम की अंग्रेजी वर्तनी के (Spelling) वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायगा, अर्थात समान जन्म तिथि एवं प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों में से जिनके नाम का प्रारम्भिक अक्षर अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार पहले आयेगा, उन्हें मेधा क्रम में ऊपर रखा जायेगा।

vii. अनारक्षित पद के लिए तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदो के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी अंकित होगा। इस संबंध में राज्य सरकार के अद्यतन निर्देशों/अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

viii. आयोग अपनी सुबिधा के अनुसार अभ्यर्थी की पात्रता/अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच कर सकेगा।

ix. आयोग के परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करेगा की अभ्यर्थी विज्ञापित पदों की नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता/अहर्त्ता पूरी करते है जब तक के अभ्यर्थी की पात्रता/अहर्त्ता का सत्यापन अंतिम रूप से न हो जाये।

x. एक से अधिक पदों /सेवाओं में नियुक्ति के लिये चयन हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने की स्थिति में यथा समय अभ्यर्थी से पदों/सेवाओ के लिए विकल्प लिया जायेगा और मेधा –सह–विकल्प के अनुसार चयन सूची गठित होगी।

xi. आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर मेधा सूची गठित की जायेगी और मेधा क्रम से आरक्षण कोटिवार योग्य अभ्यर्थी का चयन करते हुए अधियाचना के आलोक में संबंधित विभाग को अनुशंसा के साथ सूची भेजी जायेगी।

(घ) <u>परीक्षा का स्वरूप :–</u>

i. सामान्यतः परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी :–

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा



[signature] 16/12/14

परन्तु किसी स्तर की परीक्षा में 15,000 (पन्द्रह हजार) से कम आवेदन रहने पर सामान्यतः प्रारम्भिक परीक्षा नहीं ली जायेगी और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक परीक्षा ली जायेगी जिसमें प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के सभी विषय शामिल रहेंगे।

सिर्फ एक परीक्षा लेने की स्थिति में भी भाषा का ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अहर्त्तांक 40 (चालीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्त के लिये चयन हेतु असफल/अयोग्य माने जायेंगे। इस विषय पर आयोग अपने विवेक से अंतिम निर्णय ले सकेगा।

ii. सभी परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 (तीन) होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिये 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 (एक) अंक कटौती की जायेगी।

<u>प्रारंभिक परीक्षा :-</u>

**प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान होगा।**

**पत्र–सामान्य ज्ञान**

| | | |
|---|---|---|
| (क) सामान्य अध्ययन | – | 40 प्रश्न |
| (ख) सामान्य विज्ञान | – | 20 प्रश्न |
| (ग) सामान्य गणित | – | 20 प्रश्न |
| (घ) मानसिक क्षमता जाँच | – | 20 प्रश्न |
| (ङ) कंम्यूटर का मूल–भूत ज्ञान | – | 20 प्रश्न |
| | | कुल–120 प्रश्न |

परीक्षा अवधि –2 घंटा

**(ङ) (प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम)**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या–11/क०च०आ०–16–06/2013 का०– 8566 राँची दिनांक–28.09.2015 में उपबंधित नियम के अनुरूप होंगे।

**(च) <u>मुख्य परीक्षा :-</u>**

मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। यह परीक्षा दो पाली में ली जायेगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे :-

15/11/15

**पत्र– 1 (भाषा ज्ञान) (पहली पाली)**

(क) हिन्दी भाषा ज्ञान – 80 प्रश्न

(ख) अंग्रेजी भाषा ज्ञान – 40 प्रश्न

कुल – 120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

**पत्र– 2 (सामान्य ज्ञान) (दूसरी पाली)**

क) सामान्य अध्ययन – 40 प्रश्न

(ख) सामान्य विज्ञान – 20 प्रश्न

(ग) सामान्य गणित – 20 प्रश्न

(घ) मानसिक क्षमता जाँच – 20 प्रश्न

(ड़) कंम्यूटर का मूल–भूत ज्ञान – 20 प्रश्न

कुल–120 प्रश्न

परीक्षा अवधि – 2 घंटा

**टिप्पणी –**

1. पत्र –1 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक 40% (चालीस प्रतिशत) होगा। न्यूनतम अहर्तांक से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये चयन हेतु असफल/आयोग्य माने जायेंगे।
2. पत्र–2 (सामान्य ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक नहीं होगा।
3. पत्र–2 (भाषा ज्ञान) की परीक्षा में न्यूनतम अहर्तांक 40 (चालीस) प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर पत्र–1 एवं पत्र 2 में प्राप्त अंक को जोड़ कर कुल अंको के आधार पर मेधा का निर्धारण किया जायेगा।
4. कार्मिक विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13026 दिनांक–27.11.2012 की कंडिका 3 (iv) के अनुसार इस नियुक्ति के लिए निर्धारित मुख्य परीक्षा के लिए कोटिवार न्यूनतम अहर्तांक निम्नवत् होगी :–

| | |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | 40 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग | 36.5 प्रतिशत |
| पिछड़ा वर्ग (एनेक्चर–I) | 34 प्रतिशत |
| अनु०जाति/जनजाति/महिला वर्ग | 32 प्रतिशत |

5. **परिवीक्षा की अवधि एवं प्रशिक्षण :–**

प्रारूपक पदों पर खुली प्रतियोगिता/सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति होने की तिथि से दो वर्षो तक परिवीक्षाधीन माना जायगा, जिन्हें संबंधित

बंदोबस्त कार्यालय की विभिन्न शाखा के अभिलेखों के संधारण एवं अन्य कार्यो का परिबोध एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जायगा। प्रशिक्षण का संचालन एवं व्यवस्था नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर से की जायेगी।

6. **सम्पुष्टि**

परिवीक्षा अवधि एवं कार्यालय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, कम्प्यूटर सक्षमता की जांच परीक्षा एवं जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल करने पर एवं उनकी सेवा संतोषप्रद पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित नियुक्ति पदाधिकारी की अनुशंसा पर निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप झारखण्ड, राँची द्वारा कर्मी की सेवा संपुष्टि की जायेगी।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा संचालित हिंदी टिप्ण एवं प्रारूपण परीक्षा, उत्तीर्ण होने पर प्रथम वेतनवृद्धि तथा जनजातीय भाषा परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर आगामी वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहने पर वेतनवृद्धि असंचायात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन वृद्धि अनुमान्य नहीं होगी।

7. **नियुक्ति :–**

अधियाचित रिक्त के विरूद्ध नियुक्ति आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों के मेधा सूची के क्रमानुसार नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षाधीन प्रारूपक के रूप में की जायगी।

किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अंदर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिये अग्रणीत की जायेगी।

8. **वरीयता :–**

प्रत्येक कार्यालय में नियुक्त प्रारूपक की पारस्परिक वरीयता, एतद् विषयक कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशो के आलोक में निर्धारित होंगी। पूर्व से कार्यरत प्रारूपक की वरीयता उनके नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि समान रहने पर नामों के प्रारंम्भिक अक्षर (English alphabet) के आधार पर निर्धारित होगी। अधिसूचना के प्रवृत होने की तिथि के बाद नियुक्त प्रारूपक संवर्गीय पदों की वरीयता आयोग की अनुशंसा में अंकित आयोग द्वारा तैयार एवं अनुशंसित मेधासूची में वर्णित क्रमानुसार रहेंगी।

15/1/14

9. **प्रोन्नति :–**

i. **विभागीय प्रोन्नति समिति :–** प्रारूपक सेवा संवर्ग हेतु निम्नांकित विभागीय प्रोन्नति समिति होंगी :–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची। | – | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड, राँची। | – | सदस्य सचिव |
| 3. | निदेशालय के उप सचिव–सह–उप निदेशक, (स्थापना प्रभारी) | – | सदस्य |
| 4. | विभागीय स्थापना समिति के लिए कार्मिक विभाग द्वारा अधिसूचित अनु०जाति/जनजाति के प्रतिनिधित्व हेतु मनोनीत पदाधिकारी। | – | सदस्य |
| 5. | विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार। | – | विशेष आमंत्रित सदस्य |

ii. संवर्गीय सरचना में निम्न से उच्च पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह योग्यता (Seniority-Com-Fitness) पर आधारित होगी।

iii. प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषय पर कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार होगी।

iv. कालावधि :– विभिन्न संवर्गीय पद के लिए विहित वेतनमानो के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित कालावधि प्रोन्नति हेतु निर्धारित कालावधि मानी जायेगी।

v. प्रोन्नति हेतु आरक्षण प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

10. **पदस्थापना/स्थानान्तरण :–**

नियंत्री पदाधिकारी पदस्थापन/स्थानान्तरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे। अवकाश/चरित्र पुस्ती/सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय–समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे।

11. **अनुशांसनिक कार्रवाई :–**

अनुशासनात्मक कार्रवाई राज्य में प्रवृत सुसंगत नियमावली के प्रावधानों के तहत नियंत्री पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

12. **प्रकीर्ण :–**

i. अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खंडों में उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, झारखण्ड को होगी।

ii. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इसमें संशोधन कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या इसे लागू करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।

iv. अधियाचना और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा।

13. **निरसन और व्यावृति :–**

i. इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व के इस नियमावली के विषयों पर निर्गत कोई नियम/विनियम/अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से निरसित माने जायेंगे।

ii. ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित आदेश द्वारा या उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायगी। मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
15/12/17
(कमल किशोर सोन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/(निदे० अभि०)–(नि०प्रारूपक)–17/2015......760/नि० राँची, दिनांक–15-12-17

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1/(निदे० अभि०)–(नि०प्रारूपक)–17/2015......760/नि० राँची, दिनांक–15-12-17

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रसारित। अनुरोध है कि मुद्रित राजपत्र की 500 प्रतियाँ भू–अभिलेख, एवं परिमाप निदेशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

15/12/17
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1/(निदे० अभि०)–(नि०प्रारूपक)–17/2015......760/नि० राँची, दिनांक–15-12-17

प्रतिलिपि :– सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/ महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/17
सरकार के सचिव।

C:\Users\Hema\Desktop\Nideshalay Draft\Notification.docx 3.docx

mail sent 20.12.17